रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938
No. 349] NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/VAISAKHA 26, 1938

indiacode

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

सा.का.नि. 523(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित प्रारूप नियम यथा पेटेंट (संशोधन) नियम, 2015 का प्रकाशन, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 806 (अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2015 द्वारा किया गया था और उसी दिन जनसाधारण को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " पेटेंट (संशोधन) नियम, 2016" है।

(2) ये राजपत्र मे अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) खंड (घक) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

'(घख) "परीक्षण के लिए अनुरोध" से अभिप्रेत है परीक्षण के लिए अनुरोध जिसमें नियम 24ख या नियम 24ग के संदर्भ में धारा 11ख के अधीन किया गया त्वरित परीक्षण शामिल है;

(ii) खंड (चक) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

'(चख) "स्टार्ट अप" से वह अस्तित्व अभिप्रेत है जहां-

(i) उसकी निगमन या रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक का समय व्यपगत नहीं हुआ है;

(ii) ऊपर वर्णित पाँच वर्ष में से किसी वित्तीय वर्ष में आवर्त रुपए पच्चीस करोड़ से अधिक नहीं हुआ है; और

(iii) यह तकनीक या बौद्धिक सम्पदा जनित नए उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं के आविष्कार, उन्नयन, परिनियोजन या वाणिज्यिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है;

परंतु पूर्व से अस्तित्व किसी व्यवसाय को खंडित कर अथवा पुनर्गठित कर बनाई गई किसी अस्तित्व को स्टार्ट-अप नहीं माना जाएगा।

परंतु यह और कि केवल मात्र इसे विकसित करने का कार्य:

क. वह उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया जिसमें वाणिज्यिकरण की क्षमता न हो, अथवा

ख. समरुप उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया हो, अथवा

ग. वह उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया जिसमें उपभोक्ताओं या कार्य प्रवाह के लिए अभिवृद्धि मान सीमित हो या न हो,

इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा।

स्पष्टीकरण 1- एक अस्तित्व अपनी स्थापना या रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पाँच वर्ष पूरा करने अथवा किसी पूर्व वर्ष में रुपए पच्चीस करोड़ से अधिक का पण्यावर्त करने के बाद स्टार्ट अप नहीं रहेगी।

स्पष्टीकरण 2- अस्तित्व से अभिप्रेत है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित),या एक रजिस्ट्रीकृत भागेदारी फर्म (भागेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) या एक सीमित देयता भागेदारी (सीमित देयता भागेदारी अधिनियम, 2002 के अधीन)।

स्पष्टीकरण 3- पण्यावर्त का वही आशय होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन परिभाषित है।

स्पष्टीकरण 4- कोई अस्तित्व तकनीक या बौद्धिक सम्पदा जनित नए उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं के आविष्कार, उन्नयन, परिनियोजन या वाणिज्यिकरण के क्षेत्र में कार्यरत मानी जाती है यदि उसका उद्देश्य यह विकसित और वाणिज्यिकृत करना हो, एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया, या किसी विद्यमान उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार जिससे उपभोक्ता या कार्य प्रवाह का मान बने या बढ़े।

स्पष्टीकरण 5- भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संदर्भ दर लागू होगी ।

3. मूल नियमों में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात:-

"5. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम या इन नियमों से संबद्ध कार्यवाहियों से संबन्धित है और प्रत्येक पेटेंटधारी नियंत्रक को भारत में तामील के लिए एक डाक पता देगा और एक ईमेल पता देगा और ऐसी कार्यवाहियों या पेटेंट से संबन्धित सभी प्रयोजनों के लिए वह पता उन कार्यवाहियों से संबन्धित व्यक्ति या पेटेंटधारी का पता माना जा सकेगा। ऐसा पता न दिये जाने पर नियंत्रक पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वह किसी भी कार्यवाही या उस पर कोई कार्य प्रारम्भ करे अथवा पेटेंट करे या अधिनियम या इनके नियमों के अधीन दी जाने वाली कोई सूचना भेजे और नियंत्रक इस संदर्भ में स्वतः निर्णय ले सकेगा ।

परंतु पेटेंट अभिकर्ता के लिए भारत में रजिस्ट्रीकृत एक मोबाइल नंबर नियंत्रक को उपलब्ध करना होगा ।"

4. मूल नियमों में, नियम 6 में,-

(i) उप-नियम (1) में शब्द "या कोरियर सेवा" जहां जहां वे आते हैं उनका लोप किया जाएगा।

IndiaCode

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् ;-

"(1क) उप-नियम (1) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट अभिकर्ता सम्यक रूप से अधिप्रमाणित सभी दस्तावेज को केवल इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा फाइल करेगा, छोड़ेगा, बनाएगा या देगा जिसमें मूल रुप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ की स्कैन प्रति भी शामिल है:

परंतु मूल रुप से प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेज़ पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा, और ऐसा न होने पर उस दस्तावेज़ को फाइल नहीं किया गया सा मान लिया जाएगा"।

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"(2) पेटेंटधारी को, पेटेंट रजिस्टर में लिखे हुए उसके डाक पते अथवा ई-मेल पते पर अथवा नियम 5 के अधीन दिये गए तामील के लिए उसके पते पर अथवा अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी आवेदक या विरोधी को उस आवेदन या विरोध की सूचना में दिये गए, अथवा तामील के लिए दिये गए डाक पते अथवा ई-मेल पते पर भेजी गयी किसी लिखित संसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर उचित रूप से पता लिखा गया है।";

(iv) उप-नियम (3) में, शब्द "या कोरियर सेवा" का लोप किया जाएगा;

(v) उप-नियम (4) में, शब्द "या कोरियर" का लोप किया जाएगा;

(vi) उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) उप-नियम (5) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और नियम 138 के उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि पक्ष द्वारा देरी की माफी की याचिका नियंत्रक के समक्ष तथ्य की परिस्थितियों संबंधी कथन और उस कथन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर नियंत्रक को समाधान कर सके कि जहां उसका निवास है या उसका व्यवसाय स्थान है वहाँ युद्ध, क्रांति, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, प्राकृतिक आपदा, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक संचार सेवा समान्यतया उपलब्ध न होने या अन्य ऐसे कारण से किसी दस्तावेज़ के पारेषण या पुन: प्रस्तुतिकरण में विलंब हुआ, और यह कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि उससे उस क्षेत्र की साधारण संचार प्रणाली बाधित हो गई थी और यह कि जैसे ही संभव हुआ उस परिस्थिति की समाप्ति की तारीख से एक महीने के पहले संबद्ध कार्यवाही की गई, नियंत्रक पेटेंट कार्यालय में दस्तावेज़ के पारेषण या पुनःप्रस्तुतिकरण में हुई देरी या पक्ष द्वारा कोई कार्य करने को माफ कर सकेगा:

परंतु नियंत्रक द्वारा माफ किया गया विलंब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावी रहने की अवधि या विहित अवधि की समाप्ति से छः महीने, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगा।"

(7) इस नियम के अधीन किसी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता संबंधी सबूत, दस्तावेज़ के इलेक्ट्रोनिक पारेषण सहित को फाइल करना, छोड़ना, बनाना या दस्तावेज़ देने का दायित्व और ज़िम्मेदारी सम्बद्ध पक्ष की ही होगी।"

5. मूल नियमों में, नियम 7 में,-

i. उप-नियम (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:

"(क) अधिनियम अथवा इस नियम के अधीन संदेय फीस समुचित कार्यालय में या तो नकद दी जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या नियंत्रक, पेटेंट को संदेय और उस स्थान पर किसी अनुसूचित बैंक में आहरित जहां उपयुक्त कार्यालय स्थित है, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा भेजी जा सकेगी और यदि ड्राफ्ट या बैंकर चैक डाक द्वारा भेजा जाता है तो यह समझा जाएगा कि फीस का संदाय उस तारीख को किया गया है जिसको ड्राफ्ट या बैंकर चैक नियंत्रक को वास्तव में प्राप्त हुआ है।"

ii. उप-नियम (2) में खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

IndiaCode

iii. उप-नियम 3क के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3ख) यदि किसी स्टार्टअप द्वारा प्रक्रियागत कोई आवेदन प्रकृत व्यक्ति या किसी स्टार्टअप के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः या अंशतः हस्तांतरित होता है तो स्टार्टअप से लिए जाने वाली फीस और जिस व्यक्ति को वह आवेदन हस्तांतरित किया गया उससे लिए जाने वाली फीस के परिमाण का अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान हस्तांतरण के अनुरोध के साथ नए आवेदक द्वरा किया जाएगा:

स्पष्टीकरण- जहां स्टार्टअप पेटेंट आवेदन फाइल करने के बाद अपनी स्थापना या रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक का समय बीत जाने या तदोपरांत पण्यावर्त की यथा परिभाषित निर्धारित वित्तीय सीमा पार कर लेने के कारण स्टार्टअप नहीं रह जाती तो फीस के परिमाण में किसी अंतर का भुगतान नहीं करना होगा।"

iv. उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) इस बात के होते हुए भी कि कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं, यद्यपि अन्यथा वर्णित हो, किसी कार्यवाही की बाबत एक बार भुगतान की गयी फीस सामान्यतः वापस नहीं की जाएगी:

परंतु, यदि नियंत्रक से समाधान हो जाता है कि ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान एक ही कार्यवाही के लिए एक से अधिक बार भुगतान किया गया है तो अतिरिक्त फीस प्रतिदाय कर दी जाएगी":

v. उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) उप-नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिस आवेदन के लिए परीक्षण हेतु अनुरोध फाइल किया गया है उसे उस पर आपत्तियों के प्रथम कथन जारी करने से पहले वापस लेने पर फीस, प्ररूप 29 में आवेदक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, पहली अनुसूची में निर्धारित सीमा तक वापस की जा सकती है":

6. मूल नियमों में, नियम 8 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) जहां किसी प्रयोजन के लिए कोई प्ररूप विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, आवेदक दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप 30 का उपयोग कर सकेगा।"

7. मूल नियमों में, नियम 13 में,-

(i) उप-नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जहां आविष्कार का रेखाचित्रों द्वारा स्पष्टीकरण अपेक्षित किया जा सकता हो वहाँ ऐसे रेखाचित्र नियम 15 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाएँगे और उन्हे दावे सहित विनिर्देश में विस्तृत रुप से प्रस्तुत या संदर्भित किया जाएगा जहां आरेख में वर्णित विशेषताओं के अनुसरण में संदर्भ संकेत कोष्ठक में दिया जाएगा।

परंतु सम्पूर्ण विनिर्देश की दशा में, यदि आवेदक अनंतिम विनिर्देश के साथ दिये गए रेखाचित्रों को सम्पूर्ण विनिर्देश के रेखाचित्रों के रूप में या उनके भाग के रूप में वांछा करना चाहता है तो उन्हे ब्यौरे और दावों में इस प्रकार निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि वे वही हैं जो अनंतिम विनिर्देश के साथ दिये गए हैं।";

(ii) उप-नियम (7) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) सार विनिर्देश में, अंतर्विष्ट विषय-वस्तु का सूक्ष्म सारांश अंतर्विष्ट होगा और सार में, आविष्कार किस तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विद्यमान ज्ञान की तुलना में आविष्कार कितना उन्नत है और कल्पित उपयोग को छोड़कर आविष्कार के मुख्य उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा और जहां आवश्यक हो, सार में उस आविष्कार की विशेषता बताने वाला तकनीकी सूत्र अंतर्विष्ट होगा";

(iii) उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) वह अवधि जिसके भीतर निक्षेप के प्रति निर्देश धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (अ) के अधीन विनिर्देश में किया जाएगा, आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास होगी;

परंतु, नियम 24क के अधीन प्रकाशन के अनुरोध के मामले में, ऐसा निर्देश उस अनुरोध के फाइल करने की तारीख से या उससे पूर्व किया जाना चाहिए।"

8. **मूल नियमों में, नियम 14** के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-:

"14. **विनिर्देशों के संशोधन:-** (1) जब अनंतिम या पूर्ण विनिर्देश अथवा संलग्न रेखाचित्र संशोधित किया गया हो तो ऐसा पृष्ठ पर संशोधन हैं उसे सतत दस्तावेज़ के लिए रूप मे पुनः टंकित और प्रस्तुत किया जाए।

(2) विनिर्देश अथवा रेखाचित्र जिसमे संशोधन किया हो उसकी एक चिह्नित प्रतिलिपि संशोधनों को दर्शाती जहां संशोधन किया गया हो और वह भाग स्पष्टतया दर्शाने वाला एक कथन (पृष्ठ संख्या और पंक्ति संख्या) भी फाइल की जाए।

(3) संशोधन स्लिप चिपकाकर, या पाद टिप्पणों के रूप में या दस्तावेजों में से किसी की पार्श्व में लिख कर नहीं किए जाएँगे।

(4) जब फिर से लिखे पृष्ठ या संशोधनों को शामिल किए हुए पृष्ठ प्रस्तुत किए जाएँगे, तो पहले के पृष्ठ को आवेदक द्वारा अधिक्रमित और रद्द कर दिया गया समझा जाएगा।"

9. **मूल नियमों में, नियम 20 में,** उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) धारा 7 की उप-धारा (1क) के अधीन पेटेंट सहयोग संधि के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप आवेदन धारा 7 की उप-धारा (1 क) के अधीन प्ररूप 1 मे किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "अंतरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप आवेदन" से "पेटेंट सहयोग संधि के अंतर्गत फाइल आवेदन अभिप्रेत है जिसमे अनुच्छेद 19 के अधीन आवेदक द्वारा किए गए संशोधन सम्मिलित हैं, और अनुच्छेद 20 के अधीन अभिहित कार्यालय को संप्रेषित, या संधि के अनुच्छेद 34 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के अधीन संशोधन शामिल है:

परंतु, यह कि आवेदक भारत को अभिहित किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप ऐसे आवेदन फाइल करते समय, नियम 14 में निहित उपाबंधों के अनुसार दावा मिटा सकता है।

10. **मूल नियमों में, नियम 24 ख में,**

(i) उप-नियम (2) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) जहां उप-नियम (1) के अधीन परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल किए जाने पर और धारा 11क के अधीन आवेदन का प्रकाशन होने पर, वहां नियंत्रक आवेदन, विनिर्देश और अन्य संबन्धित दस्तावेज़ परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा और यह संदर्भ अनुरोध फाइल करने के क्रम में किया जाएगा:

परंतु, धारा 16 के अधीन और आवेदन फाइल करने के संदर्भ में, ऐसे आवेदन का अनुक्रम वही होगा जो पहले उल्लिखित आवेदन का है।

परंतु यह और कि यदि पहले उल्लिखित आवेदन परीक्षण के लिए निर्दिष्ट किया जा चुका है तो अगला आवेदन परीक्षण के लिए अनुरोध के साथ होगा और ऐसे अगले आवेदन को एक महीने के भीतर प्रकाशित कर उस प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर परीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।";

(ii) उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(3) नियंत्रक द्वारा परीक्षक की रिपोर्ट के निपटान की तारीख से एक महीने के भीतर आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को आपत्तियों का कथन, अन्य अपेक्षित दस्तावेज के साथ प्रेषित की जाएगी:

परंतु, जहां हितबद्ध व्यक्ति परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल करता है, ऐसे परीक्षण की केवल एक संसूचना उस हितबद्ध व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(4) आपत्तियों के प्रथम कथन के उत्तर और परवर्ती उत्तर, यदि कोई हो, की प्रक्रिया उसी क्रम में होगी जिस क्रम में वे उत्तर प्राप्त होंगे।

(5) धारा 21 के अधीन अनुदान के लिए क्रमगत करने के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने का समय उस तारीख से छः महीने का होगा जिससे आवेदक को अपेक्षा पूर्ण करने के लिए आपत्तियों के प्रथम कथन जारी किया गया हो ।"

IndiaCode

(6) उप-नियम (5) में यथा विहित धारा 21 के अधीन आवेदन को क्रमागत करने के समय को उप नियम (5) के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियंत्रक के समक्ष विहित प्ररूप 4 में निर्धारित फीस के साथ समय विस्तार के लिए आवेदन किए जाने पर तीन महीने की अवधि के लिए और विस्तार किया जा सकता है।"

11. मूल नियमों में, नियम 24 ख के बाद निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" 24 ग आवेदनों का त्वरित परीक्षण,-

(1) आवेदक प्ररूप 18 क में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ निम्नलिखित आधारों पर सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा नियम 24 ख में विहित अवधि के भीतर त्वरित परीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात् :-

(क) यह कि भारत को सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण के रुप में इंगित किया गया है या तत्संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप मे मनोनीत किया है; या

(ख) यह कि आवेदक एक स्टार्ट-अप है:

(2) नियम 24 ख के अधीन फाइल परीक्षण के लिए अनुरोध को नियम 24 ग के उप-नियम (1) के अधीन सुगत फीस का भुगतान कर और उप-नियम (1) के अधीन यथापेक्षित वांछित दस्तावेज़ जमा कर त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध के रूप में संप्रवर्तित किया जा सकता है।

(3) सिवाय वहाँ जहां आवेदन पहले ही धारा 11क की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित हो चुका है या नियम 24 क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध फाइल किया जा चुका है, त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध के साथ नियम 24 क के अधीन प्रकाशन के लिए अनुरोध संलग्न होना चाहिए।

(4) जहां त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध इस नियम के अपेक्षानुरूप नहीं होता है तो वहां वैसे अनुरोध का निपटान, आवेदक को सूचित करते हुए, नियम 24ख में निहित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और उसे उस दिन फाइल किया गया माना जाएगा जिस तारीख को त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध फाइल किया गया था।

(5) त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, नियंत्रक उस अनुरोध को आवेदन और विनिर्देश और अन्य दस्तावेज़ के साथ त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल होने के क्रमानुसार परीक्षक को निदेशित करेगा।

परंतु इस नियम के अधीन किसी स्टार्टअप द्वारा फाइल त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध पर केवल इसी आधार पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जाएगा कि वह स्टार्टअप पेटेंट के लिए आवेदन फाइल करने के बाद अपनी स्थापना या रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक बीत जाने या तदोपरांत पण्यवर्त की यथा परिभाषित वित्तीय सीमा पार करने के कारण अब एक स्टार्टअप नहीं रह गया है।

(6) वह अवधि जिसके भीतर परीक्षक, धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन रिपोर्ट बनाएगा, वह साधारणतया नियंत्रक द्वारा उन्हें वह आवेदन प्रेषित करने की तारीख से एक मास होगी किन्तु दो मास से अधिक नहीं होगी।

(7) जिस अवधि के भीतर नियंत्रक परीक्षक के रिपोर्ट का निपटान करेगा वह नियंत्रक द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से साधारणतया एक मास होगी।

(8) प्रथम आपत्तियों का कथन किसी दस्तावेज़ के साथ, यदि अपेक्षित हो, नियंत्रक द्वारा आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को परीक्षक के रिपोर्ट के निपटान से पंद्रह दिन के भीतर भेजी जाएगी।

(9) उस आवेदन की बावत जहां त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध फाइल किया गया है, आपत्तियों के प्रथम कथन का उत्तर और परवर्ती उत्तर, यदि कोई हो, पर उसी अनुक्रम में कार्य किया जाएगा जिस क्रम में उन आवदानों के उत्तर प्राप्त होंगे।

(10) धारा 21 के अधीन किसी आवेदन को अनुदान करने के लिए प्रस्तुत करने का समय उस तारीख से छः महीने का होगा जिससे प्रथम आपत्तियों का कथन आवेदक को जारी किया गया था।

(11) उप नियम (10) में यथाविहित, धारा 21 के अधीन किसी आवेदन को अनुदान के लिए प्रस्तुत करने के समय में तीन महीने का और विस्तार और दिया जा सकता है जब उप-नियम (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि समाप्ति के पूर्व नियंत्रक के समक्ष, विहित फीस के साथ, समय विस्तार के लिए प्ररूप 4 पर विस्तार हेतु अनुरोध किया गया हो।

(12) नियंत्रक, उस आवेदन का निपटान प्रथम आपत्तियों के कथन के अंतिम उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर या धारा 21 के अधीन आवेदन को अनुदान के लिए प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पूर्ववर्ती हो, करेगा;

परंतु यह समय सीमा अनुदान-पूर्व विरोध के मामले में लागू नहीं होगी।

(13) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक शासकीय जर्नल में उस त्वरित परीक्षण की नोटिस प्रकाशित कर वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध की संख्या सीमित कर सकता है।

12. **मूल नियमों में, नियम 26** के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"26. धारा 11ख की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के प्रत्याहरण हेतु अनुरोध प्ररूप 29 में किया जाएगा।"

13. **मूल नियमों में, नियम 28 में,** उप-नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(6) वीडियो-कन्फेरेंसिंग या श्रवण-दृश्य संचार के माध्यम से भी सुनवाई की जा सकती है;

परंतु ऐसी सुनवाई समुचित कार्यालय में की गई मानी जाएगी।

"स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "संचार युक्ति" की पद का वही समनुदेशित है जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज क) मे दिया गया है।

(7) सुनवाई के सभी मामलों में सुनवाई की तारीख के पन्द्रह दिवस के भीतर, लिखित प्रस्तुति व सुसंगत प्रलेख, यदि कोई हो, फाइल किए जाएँ।

14. **मूल नियमों में, नियम 55 में,**

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएँगे, अर्थात:-

"(1) धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन विरोध के लिए अभ्यावेदन उपयुक्त कार्यालय को प्ररूप 7 (क) में, आवेदक को एक प्रति प्रेषित करते हुए, फाइल की जानी होगी, और उसमें अभ्यावेदन के समर्थन में कोई कथन या साक्ष्य, यदि हो, और सुनवाई हेतु अनुरोध, यदि ऐसी वांछा हो, शामिल होंगे।

(ii) उप-नियम (3), उप-नियम (4) और उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएँगे, अर्थात:-

"(3) अभ्यावेदन पर विचार करते हुए यदि नियंत्रक का यह राय है कि पेटेंट आवेदन को इंकार कर दिया जाए अथवा पूर्ण विनिर्देश में संशोधन की आवश्यकता है तो वह आवेदक को तत्संबंधी नोटिस उस अभ्यावेदन की प्रति से साथ देगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक, यदि वांछा हो, तो नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर अपने आवेदन के समर्थन में अपना कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, विरोधी को एक प्रति देते हुए,फाइल करेगा।

(5) आवेदक द्वारा फाइल किए गए कथन और साक्ष्य, विरोधकर्ता द्वारा फाइल कथन और साक्ष्य सहित प्रतिवेदन, पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुति पर विचार कर और पक्षकारों को सुनने, यदि ऐसा अनुरोध किया गया हो, के बाद, नियंत्रक पेटेंट अनुदान उपर्युक्त कार्यवाही से समान्यतया एक महीने के भीतर उस आवेदन और अभ्यावेदन पर एक साथ निर्णय करते हुए सकारण आदेश जारी कर या तो उस अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर सकता है अथवा पेटेंट अनुदान करने से पहले पूर्ण विनिर्देश और अन्य दस्तावेज़ में समाधान होने तक पेटेंट अनुदान से पूर्व संशोधन करने की माँग कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है।"

(iii) उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा।

15. **मूल नियमों में, नियम 71 में उप-नियम (2),** के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नियंत्रक उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए अनुरोध का निपटान समान्यतया वह अनुरोध फाइल किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर कर देगा:

परंतु प्रतिरक्षा और आण्विक ऊर्जा से संबन्धित आविष्कारों के लिए किए गए आवेदनों के संदर्भ में इक्कीस दिन की अवधि की गणना केंद्रीय सरकार से सहमति प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।"

16. **मूल नियमों में, नियम 93** के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"93. नवीकरण फीस की प्रवृष्टि :- पेटेंट के संबंध मे निर्धारित नवीकरण फीस का भुगतान प्राप्त होने पर, नियंत्रक पेटेंट रजिस्टर में उस फीस के भुगतान की तारीख और इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा कि फीस का भुगतान कर दिया गया है और पेटेंट नवीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करेगा।"

17. **मूल नियमों में, नियम 103 में,** उप-नियम (2) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) न्यूनतम पंद्रह वर्ष का तकनीकी, व्यवहारिक और अनुसंधान अनुभव हो; और"

18. **मूल नियमों में, नियम 103 के पश्चात,** निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"103क. वैज्ञानिक सलाहकार नामावली मे नाम सम्मिलित होने की निरर्हताएं – कोई व्यक्ति वैज्ञानिक सलाहकार नामावली में शामिल होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह –

(i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत किया गया हो;

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया होने पर भी, उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि उसके दिवालियापन का कारण उसकी ओर से किसी अवचार के बिना ही दुर्भाग्य था;

(iv) भारत में या भारत के बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास का दण्ड दिया गया है, जब तक कि जिस अपराध का उसे सिद्धदोष ठहराया गया है वह माफ न कर दिया गया हो या उसके द्वारा दिये गए आवेदन पर केंद्रीय सरकार ने इस निमित आदेश द्वारा, निर्योग्यता हटा न दी हो;

(v) वृत्तिक अवचार का दोषी है।"

19. मूल नियमों में, नियम 104 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"104. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में सम्मिलित होने के लिए आवेदन की विधि - कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अपना लेखा-जोखा देने पर अपना नाम वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली मे सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकता है।"

20. मूल नियम नियमों में, नियम 107 में, खंड (ग) और उसमें दिये गए परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ग) ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो और कारावास का दण्ड दिया गया हो या वह अपनी वृत्तिक हैसियत मे कदाचार का दोषी रहा हो और नियंत्रक की यह राय हो कि उसका नाम नामावली से हटा दिया जाना चाहिए; या

(घ) ऐसा व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाए;

परंतु, ऊपर खंड (क) और (ख) के अधीन मामलों के सिवाय, इस नियम के अधीन वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से किसी व्यक्ति का नाम हटाने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।"

21. मूल नियमों में, नियम 108 के उप-नियम (1) के स्थान पर लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) धारा 125 के अधीन बनाए गए पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर मे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता के नाम, राष्ट्रीयता, कारोबार का मुख्य स्थान का पता, शाखा कार्यालयों के पते, यदि कोई हों, अर्हताएँ, रजिस्ट्रीकरण की तारीख और रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का ब्यौरा और नियंत्रक द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण अंतर्विष्ट होगा।"

22. मूल नियमों में, नियम 109 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 110 के अधीन परीक्षा मे शामिल होने की वांछा करता है, परीक्षा की उद्घोषणा के उपरांत और उद्घोषणा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, पहली अनुसूची मे विनिर्दिष्ट फीस के साथ नियंत्रक को अनुरोध करेगा।"

23. मूल नियमों में, नियम 116 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(घ) जब उसने नियम 115 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय में उनके देय होने के तीन महीने बाद तक व्यतिक्रम किया हो; या

(ङ) वह भारत का नागरिक नहीं रह गया है;

परंतु, सिवाए खंड (क) और (ख) के अधीन, इस नियम के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।"

24. मूल नियमों में, नियम 117 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्टर में नाम का प्रत्यावर्तन पेटेंट अभिकर्ता को संसूचित किया जाएगा और शासकीय वेबसाइट पर सूचनार्थ प्रकाशित भी किया जाएगा।"

25. मूल नियमों में, नियम 118 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता अपने नाम, व्यवसाय के मूल स्थान और शाखा कार्यालयों, यदि कोई हो, या पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्टर में प्रविष्ट अर्हता, ईमेल पता, दूरभाष, फैक्स या अन्य किसी विवरण में परिवर्तन के लिए

आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन और विवरणों के परिवर्तन हेतु ऐसे अनुरोध के लिए पहली अनुसूची में यथा निर्दिष्ट फीस की प्राप्ति पर नियंत्रक पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करने के निदेश देगा।"

26. मूल नियमों में, नियम 129 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"129 क - सुनवाई का स्थगन – एक पेटेंट आवेदक या कार्यवाही का पक्षकार, सुनवाई की तारीख से कमसे कम तीन दिन पहले उचित कारण देते हुए पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध कर सकता है और नियंत्रक, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे और उन निबंधनों पर जो वह निर्दिष्ट करे, सुनवाई स्थगित कर तदनुसार पक्षकारों को संसूचित कर सकता है:

परंतु किसी भी पक्ष को दो से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा और प्रत्येक स्थगन तीस दिनों से अधिक का नहीं होगा।

27. मूल नियमों में, नियम 133 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"133 – धारा 72 और धारा 147 के अधीन प्रमाणित प्रतियों और प्रमाणपत्रों की आपूर्ति –

(1) पेटेंट कार्यालय मे रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियाँ, या पेटेंटों से, विनिर्देशों और अन्य सार्वजनिक दस्तावेज़ों, या वहाँ रखे रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों से उद्धरण जिसके अंतर्गत कंप्यूटर फ्लॉपी मे अभिलेख, डिस्केट्स या अन्य इलेक्ट्रोनिक प्ररूप भी हैं नियंत्रक द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर और पहली अनुसूची मे उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रदाय किए जा सकेंगे।

परंतु प्रमाणित प्रति उसी क्रम में जारी किए जाएंगे जिस क्रम में अनुरोध फाइल किए गए हैं।

(2) उप-नियम (1) मे किसी बात के होते हुए भी, प्रमाणित प्रतियाँ एक सप्ताह की अवधि के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी यदि ऐसा अनुरोध पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जाएगा।"

28. मूल नियमों में, नियम 135 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकरण ऐसे आवेदन या दस्तावेज़ फाइल करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर प्ररूप 26 में फाइल किया जाएगा या मुख्तारनामा के प्ररूप में होगा, अन्यथा ऐसे आवेदनों या दस्तावेज़ों की आगे की प्रक्रिया में, उस कमी को हटाने तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।"

29. मूल नियमों में, नियम 138 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"138. विहित समय विस्तार की शक्ति- (1) नियम 20 के उप-नियम (4) के खंड (i), नियम 20 के उप-नियम (6), नियम 21, नियम 24ख के उप-नियम (1), (5) और (6), नियम 24ग के उप-नियम (10) और (11), नियम 55 के उप-नियम (4), नियम 80 के उप-नियम (1क) और नियम 130 के उप-नियम (1) और (2) में निर्धारित समय को छोड़कर, अन्य नियमों में किसी कार्य को करने या उसके अधीन कोई कार्यवाही करने के लिए विहित समय, नियंत्रक द्वारा यदि वह ऐसा करना ठीक समझे और उन निबंधनों पर जो वह निदेश करे, एक माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।"

(2) इन नियमों के अधीन कोई कार्य करने या कोई कार्यवाही करने के लिए विहित समय के विस्तार हेतु अनुरोध इन नियमों में विहित ऐसे समय की समाप्ति के पूर्व ही किया जाएगा।"

30. मूल नियमों में, पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

" पहली अनुसूची

(नियम 7 देखिये)

सारणी 1- संदेय फीस

प्रविष्टि की संख्या	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप की संख्या	ई-फाइलिंग के लिए			वास्तविक रूप में फाइल करने के लिए		
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और/या स्टार्ट-अप	लघु अस्तित्व के लिए अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और/या स्टार्ट-अप के साथ	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और/या स्टार्ट-अप और/या लघु अस्तित्व के साथ	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और/या स्टार्ट-अप	लघु अस्तित्व के लिए अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और/या स्टार्ट-अप के साथ	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और/या स्टार्ट-अप और/या लघु अस्तित्व के साथ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम/सम्पूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, 54 और 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -	1	1600 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1600 के गुणजों में	4000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4000 के गुणजों में	8000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8000 के गुणजों में	1750 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1750 के गुणजों में	4400 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4400 के गुणजों में	8800 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8800 के गुणजों में
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर ;		(i) 160	(i) 400	(i) 800	(i) 180	(i) 440	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 800	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 880	(ii) 1750
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/ या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए।		(iii) 160 अधिकतम 24000 तक	(iii) 400 अधिकतम 60000 तक	(iii) 800 अधिकतम 120000 तक	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं
2.	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात् सम्पूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों -	2	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 400	(i) 800	(i) 180	(i) 440	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 800	(ii) 1600	ii) 350	(ii) 880	(ii) 1800
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/ या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए।		(iii) 160 अधिकतम 24000 तक	(iii) 400 अधिकतम 60000 तक	(iii) 800 अधिकतम 120000 तक	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध फाइल करने पर।	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	(i) धारा 53(2) और 142(4), नियम 13(6), 80(1क) और 130 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)।	4	480	1200	2400	530	1300	2600
	(ii) नियम 24 ख के उप-	4	1000	2000	4000	1100	2200	4400

	नियम (5) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)							
	(iii) नियम 24 ग के उप-नियम (11) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)	4	2000	5000	10000	2200	5500	11000
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन आविष्कारवृत्ति की हैसियत में घोषणा फाइल करने पर।	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	880	2200	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन संदर्भ के लोप हेतु आवेदन पर।	-	800	2000	4000	880	2200	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर; (ii) धारा 20(4) या 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6 6	800 800	2000 2000	4000 4000	880 880	2200 2200	4400 4400
9.	(i) धारा 25(2) के अधीन पेटेंट को मंजूर करने का विरोध की नोटिस पर। (ii) धारा 25(1) के अधीन पेटेंट अनुदान का विरोध करने के लिए आवदेन फाइल करने पर;	7 7क	2400 कोई फीस नहीं	6000 कोई फीस नहीं	12000 कोई फीस नहीं	2600 कोई फीस नहीं	6600 कोई फीस नहीं	13200 कोई फीस नहीं
10.	नियम 62 (2) के अधीन यह नोटिस देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	--	1500	3800	7500	1700	4100	8300
11.	धारा 28(2), धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	2000	4000	880	2200	4400
12.	धारा 11क(2) और नियम, 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	6250	12500	2750	6900	13750
13.	धारा 11ख(4) और नियम 7 (4क) और 26 के अधीन आवेदन के प्रत्याहरण के लिए आवेदन।	29	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
14.	पेटेंट आवदेन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर - (क) धारा 11ख और नियम 24 (1) के अधीन; (ख) नियम 20(4)(ii) के	18	4000	10000	20000	4400	11000	22000

IndiaCode

	अधीन।		5600	14000	28000	6150	15400	30800
14 क	नियम 24ग के अधीन पेटेंट हेतु त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर	18 क	8000	25000	60000	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं
14 ख	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए फाइल अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध मे परिवर्तित करने पर।	18 क	4000	15000	40000	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं
15.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	6000	12000	2650	6600	13200
16.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवदेन पर।	11	2400	6000	12000	2650	6600	13200
17.	धारा 26(1) या 52(2) के अधीन पेटेंट मंजूर करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	6000	12000	2650	6600	13200
18.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर।	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
19.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण के लिए।							
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400

IndiaCode

(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सतरहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	सतरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत।	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन/सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13						
(i)	पेटेंट अनुदान करने से पूर्व;		800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	पेटेंट अनुदान करने के पश्चात् ;		1600	4000	8000	1750	4400	8800
(iii)	जहाँ नाम या पता या राष्ट्रीयता या तामील पते में संशोधन होना है।		320	800	1600	350	880	1750
21.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	6000	12000	2650	6600	13200
22.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	6000	12000	2650	6600	13200
23.	धारा 60(3) और नियम 86(1)के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस।	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
24.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	--	1000	2500	5000	1100	2750	5500
25.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) या 90 (2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	1750 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4400 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8800 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)

IndiaCode

26.	नियम 94 (1) या नियम 118 (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवदेन पर।	--	320	800	1600	350	880	1750
27.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
28.	धारा 84 (1), 91 (1), 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर।	17	2400	6000	12000	2650	6600	13200
29.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर।	19	2400	6000	12000	2650	6600	13200
30.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	6000	12000	2650	6600	13200
31.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए अनुरोघ पर।	21	2400	6000	12000	2650	6600	13200
32.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	लागू नहीं	लागू नहीं	3500	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	नियम 109 (3) के अधीन अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध पर।	--	1600	लागू नहीं	लागू नहीं	1750	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए-							
	(i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जानी वाली;	-	800	लागू नहीं	लागू नहीं	880	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) प्रत्येक वर्ष के लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	-	800	लागू नहीं	लागू नहीं	880	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के द्वितीय प्रमाण-पत्र के लिए।	--	1600	लागू नहीं	लागू नहीं	1750	लागू नहीं	लागू नहीं
36.	नियम 117 (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवदेन पर।	23	1600 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	लागू नहीं	लागू नहीं	1750 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

37.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
38.	धारा 77(1)(च) या 77(1)(छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन या उसे अपास्त करने के लिए आवदेन पर।	24	1600	4000	8000	1750	4400	8800
39.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवदेन के लिए अनुज्ञा हेतु आवदेन पर।	25	1600	4000	8000	1750	4400	8800
40.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन पेटेंट की द्वितीय प्रति के लिए आवदेन पर।	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800
41.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 (1) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोघ पर।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
	(ii) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध पर या धारा 147 और नियम 133(2) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए	--	3000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	6000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	12000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	3300 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	6600 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	13200 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
43.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74क के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	--	320	800	1600	350	880	1750
44.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	--	480	1200	2400	530	1300	2650
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर।	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
46.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रति पृष्ठ।	--	10	10	10	10	10	10
48.	अंतर्राष्ट्रीय आवदेन के लिए पारेषण फीस।	--	3200	8000	16000	3500	8800	17600

49.	पूर्वीकता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
50.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण के संबंध में कथन पर।	27	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
51.	लघु अस्तित्व या स्टार्टअप में प्रास्थिति होने का दावा करने के लिए प्रस्तुत	28	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
52	नियम 129क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)		1000	2500	5000	1100	2750	5500
53.	नियम 8(2) के अधीन विविध प्ररूप, जब अन्य कोई प्ररूप विहित ना हो तब प्रयोग करने के लिए	30	यथा लागू					

IndiaCode

सारणी 2- प्रतिदेय फीस

फीस प्रतिदेय का कारण	**फीस प्रतिदाय**
नियम 7 के उप-नियम (4क) के अधीन प्रतिदेय फीस	परीक्षण के लिए अनुरोध या त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध के लिए प्रदत्त फीस का 90%

31. मूल नियमों में, दूसरी अनुसूची में- (i) प्ररूप की सूची में "प्ररूप सं. 28" के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात**,-**

"29	धारा 11ख (4) और नियम 7 (4क), 24ग (5) और 26	पेटेंट आवेदन के आहरण हेतु अनुरोध
30.	नियम 8 (2)	जब कोई अन्य प्ररूप विहित ना हो तो प्रकीर्ण प्ररूप का उपयोग किया जाएगा।"

(ii) "प्ररूप संख्या 1" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 1 पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) और	**(**केवल कार्यालय उपयोग के लिए**)**	
	आवेदन संख्या.	

<table>
<tr><td colspan="3">पेटेंट नियम, 2003
पेटेंट अनुदान हेतु आवेदन
(धारा 7, 54 और 135 तथा नियम 20 का उप-नियम (1) देखें)</td><td>फाइल किए जाने की तारीख:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>संदत्त फीस की रकम:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>सीबीआर संख्या:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>हस्ताक्षर:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1. आवेदक का संदर्भ/पहचान क्रमांक (जो कार्यालय द्वारा आवंटित)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">2. आवेदन का प्रकार [उचित श्रेणी मे (✓) का निशान लगाएं]</td></tr>
<tr><td colspan="2">साधारण ()</td><td colspan="2">अभिसमय ()</td><td colspan="2">पेटेंट सहयोग संधि – राष्ट्रीय चरण ()</td></tr>
<tr><td>प्रभाग ()</td><td>अतिरिक्त पेटेंट()</td><td>प्रभाग ()</td><td>अतिरिक्त पेटेंट ()</td><td>प्रभाग ()</td><td>अतिरिक्त पेटेंट ()</td></tr>
<tr><td colspan="6">3 क. आवेदक</td></tr>
<tr><td>पूरा नाम</td><td>राष्ट्रीयता</td><td>निवास का देश</td><td colspan="3">आवेदक का पता</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>मकान नं.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>गली</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>शहर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>देश</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">3 ख. आवेदक का प्रवर्ग [कृपया उचित श्रेणी में (✓) टिक लगाएँ]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">प्रकृत व्यक्ति ()</td><td colspan="5">प्रकृत व्यक्ति से भिन्न</td></tr>
<tr><td colspan="2">लघु अस्तित्व ()</td><td colspan="2">स्टार्ट-अप ()</td><td>अन्य ()</td></tr>
<tr><td colspan="6">4. आविष्कारक (आविष्कारकों) की श्रेणी [कृपया उचित श्रेणी में (✓) टिक लगाएँ]</td></tr>
<tr><td>क्या सभी आविष्कारक (आविष्कारकों) का नाम ऊपर नामित आवेदक (आवेदकों) के समान है?</td><td colspan="2">हाँ ()</td><td colspan="3">नहीं()</td></tr>
<tr><td colspan="6">यदि "नहीं" तो आविष्कारक (आविष्कारकों) का ब्यौरा प्रस्तुत करें</td></tr>
<tr><td>पूरा नाम</td><td>राष्ट्रीयता</td><td>निवास का देश</td><td colspan="3">आविष्कारक का पता</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>मकान नं.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>गली</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>शहर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>देश</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

IndiaCode

5. आविष्कार का नाम		
6. प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता(ओं)	आईएन/पीए संख्या	
	नाम	
	मोबाइल नं.	
7. भारत में आवेदक का पत्राचार के लिए पता	नाम	
	डाक पता	
	दूरभाष नं.	
	मोबाइल नं.	
	फैक्स नं.	
	ईमेल	

8. कन्वेन्शन देश में आवेदन की प्रायिकता का दावा करने के आवेदन में, कन्वेन्शन आवेदन की विशिष्टियां

देश	आवेदन संख्या	फाइल किए जाने की तारीख	आवेदक का नाम	आविष्कार का नाम	आईपीसी (जैसा कन्वेन्शन देश में वर्गीकृत है)

9. पेटेंट सहयोग संधि (पी. सी. टी.) राष्ट्रीय चरण आवेदन के संदर्भ में पेटेंट सहयोग संधि (पी. सी. टी.) के अधीन फाइल किए गए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन का विवरण

अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सं.	अंतर्राष्ट्रीय फाइल किए जाने की तारीख

10. धारा 16 के अधीन प्रभागीय आवेदन फाइल किए जाने के लिए, मूल (प्रथम) आवेदन की विशिष्टियां

मूल (प्रथम) आवेदन सं.	मूल (प्रथम) आवेदन के फाइल करने की तारीख

11. अतिरिक्त पेटेंट फाइल किए जाने के लिए, धारा 54 के अधीन फाइल आवेदन, मुख्य आवेदन या पेटेंट की विशिष्टियां

मुख्य आवेदन/ पेटेंट सं.	मुख्य आवेदन फाइल किए जाने की तारीख

12. घोषणाएं

(i) आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा

(आवेदक समनुदेशिती होने पर: आविष्कारक (कों) के साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकते हैं या आवेदक समनुदेशन अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है, या समनुदेशन को निर्धारित अवधि के भीतर डाक/इलेक्ट्रोनिक पारेषण के माध्यम से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।)

मैं/हम उपरोक्त नामित आविष्कारक(कों) इस आविष्कार के लिए सही और प्रथम आविष्कारक(कों) हूँ/हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदक (कों) मेरा/हमारा समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हा/हैं।

IndiaCode

(क) तारीख

(ख) हस्ताक्षर

(ग) नाम

(ii) कन्वेन्शन देश में आवेदक (कों) द्वारा घोषणा

(**कन्वेन्शन देश का आवेदक भारत के आवेदक से भिन्न होने पर**: कन्वेन्शन देश का आवेदक साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकता है या भारत में आवेदक कन्वेन्शन देश के आवेदक के समनुदेशन को अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है या समनुदेशन को निर्धारित अवधि में डाक/ इलेक्ट्रोनिक पारेषण के माध्यम से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।)

मैं/हम, कन्वेन्शन देश में आवेदक (कों) के रूप में घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हमारे सुमनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि है।

(क) तारीख

(ख) हस्ताक्षर

(ग) नाम

(iii) **आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा**

मैं/हम आवेदक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि: -

- € ऊपर वर्णित आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में हैं।
- € आविष्कार से संबन्धित अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है।
- € विनिर्देश में प्रकट किए गए आविष्कार में भारत से जैविक सामाग्री का उपयोग किया जाता है और मैं/हम, मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
- € मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आक्षेप का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है।
- € मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक हूँ/हैं।
- € मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक (कों) के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं।
- € मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत आवेदन या आवेदनों मे से प्रत्येक जिनका विशिष्टियां पैरा 8 मे दिया गया है, कन्वेंशन देश/देशों में पहला आवेदन था।
- € मैं/हम कन्वेंशन देश/देशों में फाइल किए गए ऊपर उल्लिखित आवेदन (नों) से पूर्विक्ता का दावा करता हूँ/करते हैं और कथन करता हूँ/ करते हैं कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन कन्वेंशन देश मे उस तारीख से पहले मेरे/हमारे द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे मैं/हम हक व्युत्पन्न करता हूँ/करते हैं, नहीं किया गया है।
- € मेरा/हमारा भारत में आवेदन पैरा 9 में यथा उल्लिखित पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं।) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है।
- € आवेदन मेरे/हमारे आवेदन में से विभाजित किया गया है, जिनका विवरण पैरा 10 में दिया गया है और प्रार्थना है कि आवेदन को अधिनियम की धारा 16 के अधीन तारीखको फाइल किया गया समझा जाए।
- € उक्त आविष्कार, उस आविष्कार का सुधार या उपांतरण है जिसका विवरण पैरा 11 में दिया गया है।

13. आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक हैं

(**क**) **प्ररूप** 2

मद	विवरण	फीस	टिप्पणियां

IndiaCode

(पूर्ण/अनंतिम विनिर्देश)#	पृष्ठों की संख्या		
दावा (दावे) की संख्या	दावों की सं. और पृष्ठों की संख्या		
सार	पृष्ठों की संख्या		
आरेखण (ओं) की संख्या	आरेख (आरेखों) की संख्या और पृष्ठों की संख्या		

पूर्ण विनिर्देश मे, यदि आवेदक अनंतिम विनिर्देश के साथ फाइल आरेखनों को नियम 13(4) के अधीन पूर्ण विनिर्देश के आरेखन या आरेखनों के भाग के रूप मे अपनाना चाहता है, अनंतिम विनिर्देश के ऐसे पृष्ठों के क्रमांक का उल्लेख करना यहां अपेक्षित है।

(ख) पूर्ण विनिर्देश (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ग) इलेक्ट्रोनिक प्रारूप रूप मे अनुक्रम सूची

(घ) आरेखण (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ड) पूर्वीकता प्राप्ति दस्तावेज़ या (डीएएस) अंकीय पहुँच सेवा से पूर्वीकता दस्तावेज़ (जों) को प्राप्त करने का अनुरोध यदि आवेदक ने पहले फाइल करते समय पूर्वीकता दस्तावेज़ डीएएस को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

(च) पूर्वीकता प्राप्ति दस्तावेज/विनिर्देश/अंतर्राष्ट्रीय तलाश रिपोर्ट/ पेटेंट योग्यता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुवाद।

(छ) प्ररूप 3 मे कथन और वचनबंध

(ज) प्ररूप 5 में आविष्करिता की घोषणा

(झ) प्राधिकारी की शक्ति

(ञ) ……..

कुल फीसरुपए नकद/बेंकर चैक/ बैंक ड्राफ्ट सं॰ द्वारा तारीख ……..…..बैंक

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमे कथित तथ्य और सामग्री मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किया जाये।

……आज तारीख20…..

हस्ताक्षर:

नाम:

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक

पेटेंट कार्यालय

पता……..

टिप्पण: -

*एक से अधिक प्रविष्टि की दशा मे बाक्सों को दोहराएं।

*आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वार अन्यथा जहां उल्लिखित हो, हस्ताक्षर किया जाये।

*पैरा 12 की घोषणा मे जो लागू हो/नहीं लागू हो उस पर सही (✓)/क्रास (x) का निशान लगाएं।

IndiaCode

**आविष्कारक और आवेदक का पूरा नाम उपनाम से शुरू करते हुए दें।

*उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।

*फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए।";

(iii) "**प्ररूप संख्या 3" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात**:-

प्ररूप 3

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध

(धारा 8, नियम 12 देखें)

1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम..... घोषणा करता हूँ/करते हैं:
2. संयुक्त आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	(i) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन नहीं किया है या (ii) यह कि मैं/हम जिसने/जिन्होंने/ स्वयंएकमात्र रूप से/..... के साथ संयुक्त रूप से यह आवेदन तारीख किया हैं जो उसी तात्विक रूप से उसी आविष्कार पर पेटेंट के लिए आवेदन दूसरे देशों, में जिनके विधिष्टियां निम्नलिखित हैं, किया गया है :

देश का नाम	आवेदन की तारीख	आवेदन सं॰	आवेदन की प्रास्थिति	प्रकाशन की तारीख	अनुदान करने की तारीख

3. समनुदेशिती का नाम और पता	(iii) यह कि आवेदन (आवेदनों) पर.....को अधिकार समनुदेशित किया गया है/ हैं कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक, मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप मे भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना उनके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर देता रहूँगा/ देते रहेंगे।आज तारीख20.....
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	हस्ताक्षर

IndiaCode

5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।	(……).
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता……
टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें;	

(iv) "प्ररूप संख्या 4" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 4

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

समय विस्तार के लिए अनुरोध

[धारा 53(2) और 142(4); नियम 13(6), 24ख (6), 24ग (11) , 80 (1क) और 130 देखें]

1. आवेदक का नाम	मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन/ पेटेंट सं॰ के संबंध में धारा / नियम के अधीन माह के समय-विस्तारण के लिए घोषणा करता हूँ/ करते हैं। अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं:- …… ……आज तारीख20…..
2.आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	हस्ताक्षर (……)
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं	
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता……
टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए;	

IndiaCode

(v) "प्ररूप संख्या 13" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 13 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **पेटेंट आवेदन/पूर्ण विनिर्देश/ अन्य किसी संबन्धित दस्तावेज़ के लिए आवेदन के संशोधन के लिए आवेदन** [धारा 57; नियम 81 का उप-नियम (1) देखें]	
1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम..... पेटेंट के लिए आवेदन सं॰ तारीख की बाबत आवेदन, अन्य किसी संबन्धित दस्तावेज़/पूर्ण विनिर्देश का संशोधन करने की अनुरोध के लिए, जैसा कि इससे संलग्न प्रति में उल्लिखित है, अनुरोध करता हूँ/ करते हैं। यह अनुरोध करने के लिए मेरे/हमारे कारण निम्नानुसार हैं:- मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि प्रश्नगत पेटेंट के अतिलंघन के लिए या प्रतिसंहरण के लिए कोई कार्यवाही किसी अपील बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है।
2. आवेदक या पेटेंटधारी या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	आज तारीख20..... हस्ताक्षर
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं	(.....)
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए;	

(vi) प्ररूप संख्या 18 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 18 क **पेटेंट अधिनियम, 1970** **और पेटेंट नियम, 2003** **पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध** [**धारा 11ख और नियम 24ग देखें**]	(केवल कार्यालय उपयोग के लिए) अनुरोध सं॰.: फाइल करने की तारीख: संदाय की गई फीस की रकम: सीबीआर सं॰: हस्ताक्षर:

IndiaCode

1. आवेदक (कों) का

(क) नाम:

(ख) राष्ट्रीयता:

(ग) पता:

2. मैं/हम ---------- अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट के लिए किए गए पेटेंट आवेदन सं. ----------जिसको ---------- आविष्कार का नाम ---------- के लिए फाइल किया गया था का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन किया जाए।

या

मैं/हम ---------- अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट सं. ---------- --- के लिए ---------- शीर्षक ---------- ---------- के लिए तारीख ---------- को ---------- देश में किए पेटेंट सहयोग संधि आवेदन सं.---------- ---------- तारीख ---------- के आधार पर नियम 20(4)(ii) में यथा निर्दिष्ट 31 माह की समाप्ती की प्रतीक्षा किए बिना अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन तत्काल परीक्षण किया जाए।

या

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि ---------आविष्कार का नाम---------- पेटेंट के लिए पेटेंट आवेदन सं. जिसको ---------- को------ फाइल किया गया के परीक्षण के अनुरोध सं॰ को नियम 24 ग के अधीन पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के अनुरोध मे रूपांतरित किया जाए और आवेदन का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन किया जाए।

3. आवेदक लागू कारणों पर (उचित बॉक्स मे निशान लगा कर) दर्शाएं यदि त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध निम्नलिखित कारणों मे से किसी कारण के लिए किया गया है:

☐ कि आवेदक एक स्टार्ट-अप है; या

☐ कि अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में भारत को सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के रुप में उपदर्शित किया गया है या अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रुप मे चयनित किया है।

भारत में सेवार्थ पता:

.....आज तारीख20.....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय,

पता.....

टिप्पण:

आवेदक (आवेदकों) या उसके/ उनके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए

"जो लागू न हो उसे स्तंभ काट दें।";

फीस के लिए पहली अनुसूची देखें।";

IndiaCode

(vii) "प्ररूप संख्या 28" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप आएगा, अर्थात:-

"प्ररूप 28 **पेटेंट अधिनियम, 1970** **(1970 का 39)** **और** **पेटेंट् नियम, 2003** **लघु अस्तित्व/ स्टार्ट-अप द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा** [नियम 2 (चक), 2 (चख) और 7 देखें]	
1. नाम, पता और राष्ट्रीकता प्रविष्ट करें	मैं/हम ---------- पेटेंट आवेदन सं. ---------- या पेटेंट सं.---------- के संदर्भ में आवेदक/पेटेंटी ---------- एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ/ करते हैं कि मैं /हम नियम 2 (चक) के अनुसार एक लघु अस्तित्व या नियम 2(चख) के अनुसार एक स्टार्ट-अप हूँ/हैं और निम्न दस्तावेज़ साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत है:
2. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ :	
i. लघु अस्तित्व होने का दावा करने के लिए:	
क. भारतीय आवेदक के लिए: सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन रजस्ट्रीकरण के साधन	
ख. विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में: कोई अन्य दस्तावेज़।	
ii. स्टार्ट-अप होने का दावा करने के लिए	
क. भारतीय आवेदक के लिए : नियम 2 (चख) में यथा परिभाषित पात्रता के साक्ष्य का कोई दस्तावेज़	
ख. विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में: कोई अन्य दस्तावेज़।	
3. आवेदक (आवेदकों)/ पेटेंटी / प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए 4. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और सरकारी मुहर, यदि कोई हो	यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य है। ……आज तारीख20….. हस्ताक्षर (नाम)..... (पदनाम)..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता……

IndiaCode

(viii) "**प्ररूप संख्या 28" के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्**:-

प्ररूप 29 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **पेटेंट के लिए आवेदन के प्रत्याहरण के लिए अनुरोध** [धारा 11ख(4) और नियम 7(4क), 26 देखें]	
1. आवेदक का नाम 2. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए 3. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम टिप्पण: जो लागू न हो उसे काट दें।	मैं/हम ---------- अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा फाइल किए गए पेटेंट के लिए आवेदन सं. ---------- तारीख ---------, यदि प्रयोज्य हो, जिसकी परीक्षण हेतु अनुरोध/ त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध सं..... तारीख.....को नियम 7 (4क) / 26 के अधीन प्रत्याहरित मान लिया जाय।आज तारीख20..... हस्ताक्षर (_____) (नाम)..... (पदनाम)..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

प्ररूप 30 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **जब कोई अन्य प्ररूप विहित न हो तब उपयोग किया जाय** [नियम 8 का उप-नियम (2) देखें]				
1. आवेदक/पेटेंटी /अन्य का नाम	मैं/हम			
2. ईमेल, दूरभाष, मोबाइल नं. और फैक्स नं. के साथ डाक सूचक सं./ कोड और राज्य सहित पूरा पता	मकान सं. गली	-- --	दूरभाष नं. मोबाइल नं.	-- ----
	शहर राज्य देश	-- -- --	फैक्स नं.	--
	पिन कोड	--	ईमेल	--
3. आवेदन सं./पेटेंट सं.				
4. सुसंगत धारा/नियम				
5. अनुरोध का उद्देश्य				

IndiaCode

6. अनुरोध का ब्यौरा	
7. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय	हस्ताक्षर.....
8. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और शासकीय मुहर, यदि कोई हो सहित	(.....)
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

[एफ.सं. 14 /3/2014. आई पी आर –III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 , खण्ड 3, उपखण्ड ii में अधिसूचना संख्या का. आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया -

(i) का. आ. 1418 (अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2004;

(ii) का. आ. 657 (अ) तारीख 5 मई, 2006;

(iii) का. आ. 2296 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2012;

(iv) का. आ. 1029 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 2013; और

(v) सा.का.नि. 125 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2014

IndiaCode

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

G.S.R.523(E).–Whereas the draft rules, namely the Patents (Amendment) Rules, 2015 were published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 806 (E) dated the 26th October, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), and made available to the general public on the same day inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

And, whereas, the objections and the suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules),-

(i) after clause (da), the following clause shall be inserted, namely:-

'(db) "Request for examination" means a request for examination, including expedited examination, made under section 11B in respect of rule 24B or rule 24C;

(ii) after clause (fa), the following clause shall be inserted, namely:-

'(fb) "Startup" means an entity, where-

(i) more than five years have not lapsed from the date of its incorporation or registration;

(ii) the turnover for any of the financial years, out of the aforementioned five years, did not exceed rupees twenty-five crores; and

(iii) it is working towards innovation, development, deployment or commercialisation of new products, processes or services driven by technology or intellectual property:

Provided that any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered as a startup.

Provided further that the mere act of developing-

a. products or services or processes which do not have potential for commercialisation, or

b. undifferentiated products or services or processes, or

c. products or services or processes with no or limited incremental value for customers or workflow,

would not be covered under this definition.

Explanation 1.- An entity shall cease to be a startup on completion of five years from the date of its incorporation/ or registration or if its turnover for any previous year exceeds rupees twenty-five crores.

Explanation 2.- Entity means a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013), or a registered partnership firm registered under section 59 of the Partnership Act, 1932 or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2002.

Explanation 3.- The term "Turnover" shall have the same meaning as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Explanation 4.- An entity is considered to be working towards innovation, development, deployment or commercialisation of new products, processes or services driven by technology or intellectual property if it aims to develop and commercialise a new product or service or process, or a significantly improved existing product or service or process that will create or add value for customers or workflow.

Explanation 5.- The reference rates of foreign currency of the Reserve Bank of India shall prevail.'.

3. In the principal rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. Every person, concerned in any proceedings to which the Act or these rules relate and every patentee, shall furnish to the Controller an address for service, including a postal address in India and an e-mail address, and such address for service shall be treated for all purposes connected with such proceedings or patent as the address of the person concerned in the proceedings or of the patentee. Unless such an address for service is given, the Controller shall be under no obligation either to proceed or deal with any proceeding, or patent or to send any notice that may be required to be given under the Act or these rules and the Controller may take *suo motu* decision in the matter:

Provided that a patent agent shall also be required to furnish to the Controller a mobile number registered in India.".

4. In the principal rules, in rule 6,-

(i) in sub-rule (1), the words "or courier service", wherever they occur shall be omitted;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a patent agent shall file, leave, make or give all documents only by electronic transmission duly authenticated, including scanned copies of documents that are required to be submitted in original:

Provided that the original documents that are required to be submitted in original, shall be submitted within a period of fifteen days, failing which such documents shall be deemed not to have been filed.";

(iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(2) Any written communication addressed to a patentee at his postal address or e-mail address, as it appears on the register of patents or at his address for service given under rule 5, or to any applicant or opponent in any proceedings under the Act or these rules, at the postal address or e-mail address, appearing on the application or notice of opposition, or given for service, shall be deemed to be properly addressed.";

(iv) in sub-rule (3), the words "or courier service" shall be omitted;

(v) in sub-rule (4), the words "or courier" shall be omitted;

(vi) after sub-rule (5), the following rules shall be inserted, namely:-

"(6) Without prejudice to sub-rule (5) and notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 138, the Controller may condone the delay in transmitting or resubmitting a document to the patent office or performing any act by a party, if a petition for such condonation of delay is made by the party to the Controller along with a statement regarding the circumstances of the fact and evidence in support of the statement, to the satisfaction of the Controller, that the delay was due to war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, a general unavailability of electronic communication services or other like reason in the locality where the party resides or has place of business, and that such situation was of such severity that it disrupted the normal communication in that area and that the relevant action was taken as soon as reasonably possible not later than one month from the date when such situation had ceased to exist:

Provided that the delay condoned by the Controller shall not exceed the period for which the national emergency was in force, or six months from the expiry of the prescribed period, whichever is earlier.

(7) Any liability or burden of proof regarding the authenticity of any document filed, left, made or given under these rules, including electronically transmitted documents, shall lie only with the party filing, leaving, making or giving the document.".

5. In the principal rules, in rule 7,-

(i) in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The fees payable under the Act or these rules may be paid at the appropriate office either in cash or through electronic means or may be sent by bank draft or banker's cheque payable to the Controller of Patents and drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office is situated and if the draft or banker's cheque is sent by post, the fees shall be deemed to have been paid on the date on which the draft or banker's cheque has actually reached the Controller.";

(ii) in sub-rule (2), clause (b) shall be omitted;

(iii) after sub-rule 3A, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3B) In case an application processed by a startup is fully or partly transferred to any person other than a natural person or a startup, the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from a startup and such person to whom the application is transferred, shall be paid by the new applicant along with the request for transfer:

Explanation.- Where the startup ceases to be a startup after having filed an application for patent due to lapse of more than five years from the date of its incorporation or registration or the turnover subsequently crosses the financial threshold limit as defined, no such difference in the scale of fees shall be payable.";

(iv) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Fees once paid in respect of any proceeding shall not ordinarily be refunded irrespective of whether the proceeding has taken place or not:

Provided that, if the Controller is satisfied that during the online filing process, the fee was paid more than once for the same proceeding, the excess fee shall be refunded.";

(v) after sub-rule (4) , the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), upon the withdrawal of an application in respect of which a request for examination has been filed, but before issuance of first statement of objection, the fee may be refunded to the extent prescribed in the First Schedule on a request made by the applicant in Form 29.".

IndiaCode

6. In the principal rules, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Where no Form is so specified for any purpose, the applicant may use Form 30 specified in the Second Schedule.".

7. In the principal rules, in rule 13,-

(i) for sub-rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Where the invention requires explanation through drawings, such drawings shall be prepared in accordance with the provisions of rule 15 and shall be supplied with, and referred to in detail, in the specification, including the claims where the features illustrated in the drawings shall be followed by their respective reference signs in parentheses:

Provided that in case of a complete specification, if the applicant desires to adopt the drawings filed with the provisional specification as the drawings or part of the drawings for the complete specification, it shall be sufficient to refer to them in the complete specification as those left or filed with the provisional specification.";

(ii) in sub-rule (7), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) The abstract shall contain a concise summary of the matter contained in the specification and the summary shall indicate clearly the technical field to which the invention belongs, technical advancement of the invention as compared to the existing knowledge and principal use of the invention excluding any speculative use and where necessary, the abstract shall contain the chemical formula, which characterises the invention.";

(iii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) The period within which reference to the deposit shall be made in the specification under sub-clause (A) of clause (ii) of sub-section (4) of section 10 shall be three months from the date of filing of the application:

Provided that in case of a request for publication under rule 24A, such reference shall be made on or before the date of filing of such request.".

IndiaCode

8. In the principal rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Amendments to Specifications.- (1) When amendments are made to a provisional or complete specification or any drawing accompanying it, the pages incorporating such amendments shall be retyped and submitted to form a continuous document.

(2) A marked copy clearly identifying the amendments carried out and a statement clearly indicating the portion (page number and line number) of the specification or drawing being amended along with the reason shall also be filed.

(3) Amendments shall not be made by slips pasted on, or as footnotes or by writing in the margin of any of the said documents.

(4) When a retyped page or pages incorporating amendments are submitted, the corresponding earlier page shall be deemed to have been superseded and cancelled by the applicant.".

9. In the principal rules, in rule 20, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) An application corresponding to an international application filed under Patent Cooperation Treaty may be made in Form 1 under sub-section (1A) of section 7.

Explanation.- For the purpose of this rule, "an application corresponding to an international application" means an international application as filed under Patent Cooperation Treaty which includes any amendments made by the applicant under Article 19 and communicated to Designated Office under Article 20 or any amendment made under sub-clause (b) of clause (2) of Article 34 of the Treaty:

Provided that the applicant, while filing such application corresponding to an international application designating India, may delete a claim, in accordance with the provisions contained in rule 14.".

10. In the principal rules, in rule 24B,-

(i) in sub-rule (2), for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) Where the request for examination has been filed under sub-rule (1) and application has been published under section 11A, the Controller shall refer the application, specification and other documents related thereto to the examiner and such reference shall be made in the order in which the request is filed:

Provided that in case of a further application filed under section 16, the order of reference of such further application shall be the same as that of the first mentioned application:

Provided further that in case the first mentioned application has already been referred for examination, the further application shall have to be accompanied by a request for examination, and such further application shall be published within one month and be referred to the examiner within one month from the date of such publication.";

(ii) For sub-rules (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(3) A first statement of objections, along with any documents as may be required, shall be issued by the Controller to the applicant or his authorised agent within one month from the date of disposal of the report of examiner by the Controller:

Provided that where the request for examination was filed by a person interested, only an intimation of such examination may be sent to such person interested.

(4) Reply to the first statement of objections and subsequent reply, if any, shall be processed in the order in which such reply is received.

(5) The time for putting an application in order for grant under section 21 shall be six months from the date on which the first statement of objections is issued to the applicant to comply with the requirements.

(6) The time for putting an application in order for grant under section 21 as prescribed under sub-rule (5) may be further extended for a period of three months on a request in Form 4 for extension of time along with prescribed fee, made to the Controller before expiry of the period specified under sub-rule (5).".

11. In the principal rules, after rule 24B, the following rule shall be inserted, namely:-

"24C. Expedited examination of applications.-

(1) An applicant may file a request for expedited examination in Form 18A along with the fee as specified in the first schedule only by electronic transmission duly authenticated within the period prescribed in rule 24B on any of the following grounds, namely:-

(a) that India has been indicated as the competent International Searching Authority or elected as an International Preliminary Examining Authority in the corresponding international application; or

(b) that the applicant is a startup.

(2) A request for examination filed under rule 24B may be converted to a request for expedited examination under sub-rule (1) of rule 24C by paying the relevant fees and submitting requisite documents as required under sub-rule (1).

(3) Except where the application has already been published under sub-section (2) of section 11A or a request for publication under rule 24A has already been filed, a request for expedited examination shall be accompanied by a request for publication under rule 24A.

(4) Where the request for expedited examination does not comply with the requirements of this rule, such a request shall be processed in accordance with the provisions contained in rule 24B, with an intimation to the applicant, and shall be deemed to have been filed on the date on which the request for expedited examination was filed.

(5) The Controller shall refer the request for expedited examination along with the application and specification and other documents to the examiner, in respect of the applications where the request for expedited examination has been received, in the order of filing of such requests.

Provided that a request for expedited examination under this rule filed by a startup shall not be questioned merely on the ground that the startup ceased to be a startup after having filed an application for patent due to the lapse of more than five years from the date of its incorporation or registration, or the turnover subsequently crossed the financial threshold limit, as defined.

(6) The period within which the examiner shall make the report under sub-section (2) of section 12, shall ordinarily be one month but not exceeding two months from the date of reference of the application to him by the Controller.

(7) The period within which the Controller shall dispose of the report of the examiner shall be one month from the date of receipt of such report by the Controller.

(8) A first statement of objections along with any document, if required, shall be issued by the Controller to the applicant or his authorised agent within fifteen days from the date of disposal of the report of examiner by the Controller.

(9) Reply to the first statement of objections and subsequent reply, if any, in respect of an application where the request for expedited examination was filed, shall be processed in the order in which such reply for such application is received.

(10) The time for putting an application in order for grant under section 21 shall be six months from the date on which the first statement of objections is issued to the applicant.

(11) The time for putting an application in order for grant under section 21, as prescribed in sub-rule (10) may be further extended for a period of three months on a request for extension made in Form 4 along with the prescribed fee, made to the Controller before the expiry of the period specified under sub-rule (10).

(12) The Controller shall dispose of the application within a period of three months from the date of receipt of the last reply to the first statement of objections or within a period of three months from the last date to put the application in order for grant under section 21 of the Act, whichever is earlier:
Provided that this time limit shall not be applicable in case of pre-grant opposition.

(13) Notwithstanding anything contained this rule, the Controller may limit the number of requests for expedited examination to be received during the year by way of a notice to be published in the official journal.".

12. In the principal rules**,** for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:-

"26. A request for withdrawing the application under sub-section (4) of section 11B shall be made in Form 29."

13. In the principal rules, in rule 28, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(6) The hearing may also be held through video-conferencing or audio-visual communication devices:

Provided that such hearing shall be deemed to have taken place at the appropriate office.

Explanation.– For the purposes of this rule, the expression "communication device" shall have the same meaning as assigned to it in clause (ha) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(7) In all cases of hearing, written submissions and the relevant documents, if any, shall be filed within fifteen days from the date of hearing.".

14. In the principal rules, in rule 55,-

(i) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Representation for opposition under sub-section (1) of section 25 shall be filed in Form 7(A) at the appropriate office with a copy to the applicant, and shall include a statement and evidence, if any, in support of the representation and a request for hearing, if so desired.";

(ii) for sub rules (3),(4) and (5), the following sub rules shall be substituted, namely:-

"(3) On consideration of the representation if the Controller is of the opinion that application for patent shall be refused or the complete specification requires amendment, he shall give a notice to the applicant to that effect.

(4) On receiving the notice under sub-rule (3), the applicant shall, if he so desires, file his statement and evidence, if any, in support of his application within three months from the date of the notice, with a copy to the opponent.

(5) On consideration of the statement and evidence filed by the applicant, the representation including the statement and evidence filed by the opponent, submissions made by the parties, and after hearing the parties, if so requested, the Controller may either reject the representation or require the complete specification and other documents to be amended to his satisfaction before the patent is granted or refuse to grant a patent on the application, by passing a speaking order to simultaneously decide on the application and the representation ordinarily within one month from the completion of above proceedings.";

(iii) sub-rule (6) shall be omitted.

15. In the principal rules, in rule 71, for sub-rule (2), the following shall be substituted namely:-

"(2) The Controller shall dispose of the request made under sub-rule (1) within a period of twenty-one days from the date of filing of such request:

Provided that in case of inventions relating to defence or atomic energy, the period of twenty-one days shall be counted from the date of receipt of consent from the Central Government.".

16. In the principal rules, for rule 93, the following rule shall be substituted, namely:-

"93. Entry of Renewal fee.- Upon receipt of the payment of the prescribed renewal fee in respect of a patent, the Controller shall enter in the register of patents the fact that the fee has been paid and the date of payment of such fee and issue a certificate of renewal of the patent.".

17. In the principal rules, in rule 103, in sub-rule (2), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) has at least fifteen years' technical, practical or research experience; and".

18. In the principal rules, after rule 103, the following rule shall be inserted, namely:

"103A. Disqualifications for inclusion in the roll of scientific advisers.— A person shall not be eligible to be included in the roll of scientific advisors, if he—

(i) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind;

(ii) is an undischarged insolvent;

(iii) being a discharged insolvent, has not obtained from the court a certificate to the effect that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part;

(iv) has been convicted by a competent court, whether within or outside India of an offence to undergo a term of imprisonment, unless the offence of which he has been convicted has been pardoned or unless on an application made by him, the Central Government has, by order in this behalf, removed the disability; or

(v) has been guilty of professional misconduct.".

19. In the principal rules, for rule 104, the following rule shall be substituted, namely:-

"104. Manner of application for inclusion in the roll of scientific advisers- Any interested person may apply to the Controller for inclusion of his name in the roll of scientific advisers by furnishing his bio-data.".

20. In the principal rules, in rule 107, for clause (c) and proviso thereunder, the following shall be substituted, namely:-

"(c) such person has been convicted of an offence and sentenced to a term of imprisonment or has been guilty of misconduct in his professional capacity and the Controller is of the opinion that his name should be removed from the roll; or

(d) such person is dead:

Provided that except in the cases falling under clause (a) and (d) above, before removing the name of any person from the roll of scientific advisers under this rule, such person shall be given a reasonable opportunity of being heard.".

21. In the principal rules, in rule 108, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The register of patent agents maintained under section 125 shall contain the name, nationality, address of the principal place of business, addresses of branch offices, if any, the qualifications, the date of registration of every registered patent agent and the details of their renewal of registration and any other particulars so specified by the Controller.".

22. In the principal rules, in rule 109, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) A person desirous to appear in the qualifying examination under rule 110 shall make a request to the Controller along with the fee specified in the First Schedule after announcement of such examination and within the period as may be specified in the announcement.".

23. In the principal rules, in rule 116, for clause (d), the following shall be substituted, namely:-

"(d) if he has defaulted in the payment of fees specified in rule 115, by more than three months after they are due; or

(e) if he ceases to be a citizen of India:

Provided that except under clause (a) and (b), before removing the name of any person from the register of patent agents under this rule, such person shall be given a reasonable opportunity of being heard.".

IndiaCode

24. In the principal rules, in rule 117, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The restoration of a name to the register of patent agents shall be communicated to the patent agent and also published on the official website.".

25. In the principal rules, in rule 118, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) A patent agent may apply for the alteration of his name, address of the principal place of business and branch offices, if any, or the qualifications entered in the register of patent agents, e-mail address, telephone number, fax number or any other particulars under sub-section (1) of section 125. On receipt of such application and the fee specified therefor in the First Schedule for such request for alteration of particulars, the Controller shall cause the necessary alterations to be made in the register of patent agents.".

26. In the principal rules, after rule 129 the following rule shall be inserted, namely:-

"129A.- Adjournment of hearing - An applicant for patent or a party to a proceeding may make a request for adjournment of the hearing with reasonable cause along with the prescribed fee prescribed in First Schedule, at least three days before the date of hearing and the Controller, if he thinks fit to do so, and upon such terms as he may direct, may adjourn the hearing and intimate the parties accordingly:

Provided that no party shall be given more than two adjournments and each adjournment shall not be for more than thirty days.".

27. In the principal rules, for rule 133, the following rule shall be substituted, namely:-

"133. Supply of certified copies and certificates under sections 72 and 147.- (1) Certified copies of any entry in the register, or certificates of, or extracts from patents, specifications and other public documents in the patent office, or from registers and other records including records in computer floppies, diskettes or any other electronic form kept there, may be furnished by the Controller on a request therefor made to him and on payment of the fee specified therefor in the First Schedule:

Provided that certified copies shall be issued in the order in which the request is filed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), certified copies shall be furnished within a period of one week if such request is made along with the fee specified therefore in the First Schedule.".

28. In the principal rules, in rule 135, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The authorisation of an agent for the purposes of the Act and these rules shall be filed in Form 26 or in the form of a power of attorney within a period of three months from the date of filing of such application or document, failing which no action shall be taken on such application or documents for further processing till such deficiency is removed.".

29. In the principal rules, for rule 138, the following shall be substituted:-

"138. Power to extend time prescribed.- (1) Except for the time prescribed in clause (i) of sub-rule (4) of rule 20, sub-rule (6) of rule 20, rule 21, sub-rules (1), (5) and (6) of rule 24B, sub-rules (10) and (11) of rule 24C, sub-rule (4) of rule 55, sub-rule (1A) of rule 80 and sub-rules (1) and (2) of rule 130, the time prescribed by these rules for doing of any act or the taking of any proceeding thereunder may be extended by the Controller for a period of one month, if he thinks it fit to do so and upon such terms as he may direct.

(2) Any request for extension of time prescribed by these rules for the doing of any act or the taking of any proceeding thereunder shall be made before the expiry of such time prescribed in these rules.".

30. In the principal rules, for the FIRST SCHEDULE, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"THE FIRST SCHEDULE

(See rule 7)

Table I - FEES PAYABLE

Number of entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing			For physical filing		
			Natural person(s) and/ or Startup	Small entity, alone or with natural person(s) and/ or Startup	Others, alone or with natural person(s) and/ or Startup and/ or small entity	Natural person(s) and/ or Startup	Small entity, alone or with natural person(s) and/ or Startup	Others, alone or with natural person(s) and/ or Startup and/ or small entity
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1.	On application for a patent under sections 7, 54 or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification—	1	1600 Multiple of 1600 in case of every multiple priority.	4000 Multiple of 4000 in case of every multiple priority.	8000 Multiple of 8000 in case of every multiple priority.	1750 Multiple of 1750 in case of every multiple priority.	4400 Multiple of 4400 in case of every multiple priority.	8800 Multiple of 8800 in case of every multiple priority.
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 400	(i) 800	(i) 180	(i) 440	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10;		(ii) 320	(ii) 800	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 880	(ii) 1750
	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9).		(iii) 160 subject to a maximum of 24000	(iii) 400 subject to a maximum of 60000	(iii) 800 subject to a maximum of 120000	Not allowed	Not allowed	Not allowed
2.	On filing complete specification after provisional up to 30 pages having up to 10 claims –	2	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 400	(i) 800	(i) 180	(i) 440	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10.		(ii) 320	(ii) 800	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 880	(ii) 1800
	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9).		(iii) 160 subject to a maximum of 24000	(iii) 400 subject to a maximum of 60000	(iii) 800 subject to a maximum of 120000	Not allowed	Not allowed	Not allowed
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
4.	i) On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1A) and 130 (per month).	4	480	1200	2400	530	1300	2600

IndiaCode

	ii) On request for extension of time under sub-rule (5) of rule 24B (per month).	4	1000	2000	4000	1100	2200	4400
	iii) On request for extension of time under sub-rule (11) of rule 24C (per month).	4	2000	5000	10000	2200	5500	11000
5.	On filing a declaration as to inventorship under sub-rule (6) of rule 13.	5	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
6.	On application for postdating.	-	800	2000	4000	880	2200	4400
7.	On application for deletion of reference under section 19 (2).	-	800	2000	4000	880	2200	4400
8.	(i) On claim under section 20(1);	6	800	2000	4000	880	2200	4400
	(ii) On request for direction under section 20 (4) or 20 (5).	6	800	2000	4000	880	2200	4400
9.	(i) On notice of opposition to grant of patent under section 25(2);	7	2400	6000	12000	2600	6600	13200
	(ii) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1).	7A	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
10.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under rule 62(2).	-	1500	3800	7500	1700	4100	8300
11.	On application under sections 28(2), 28(3) or 28(7).	8	800	2000	4000	880	2200	4400
12.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	6250	12500	2750	6900	13750
13.	Application for withdrawing the application under section 11B(4), and rules 7(4A) and 26.	29	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
14.	On request for examination of application for patent—	18						
	(i) under section 11B and rule 24(1);		4000	10000	20000	4400	11000	22000
	(ii) under rule 20(4)(ii).		5600	14000	28000	6150	15400	30800
14A.	On request for expedited examination of application for patent under rule 24C.	18A	8000	25000	60000	Not allowed	Not allowed	Not allowed
14B.	Conversion of the request for examination filed under rule 24B to request for expedited examination under rule 24C.	18 A	4000	15000	40000	Not allowed	Not allowed	Not allowed
15.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	6000	12000	2650	6600	13200

IndiaCode

16.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	6000	12000	2650	6600	13200
17.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	6000	12000	2650	6600	13200
18.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
19.	For renewal of a patent under section 53—							
(i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xii)	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000

IndiaCode

(xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.		8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13						
(i)	before grant of patent;		800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	after grant of patent;		1600	4000	8000	1750	4400	8800
(iii)	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	800	1600	350	880	1750
21.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	6000	12000	2650	6600	13200
22.	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	6000	12000	2650	6600	13200
23.	Additional fee for restoration under section 61(3) and rule 86(1).	—	4800	12000	24000	5300	13200	26400
24.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	—	1000	2500	5000	1100	2750	5500
25.	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and rules 90(1) or 90(2).	16	1600 (In respect of each patent)	4000 (In respect of each patent)	8000 (In respect of each patent)	1750 (In respect of each patent)	4400 (In respect of each patent)	8800 (In respect of each patent)

IndiaCode

26.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agents under rules 94(1) or rule 118(1).	—	320	800	1600	350	880	1750
27.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under rule 94(3).	—	800	2000	4000	880	2200	4400
28.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91(1), 92(1) and 92A.	17	2400	6000	12000	2650	6600	13200
29.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	6000	12000	2650	6600	13200
30.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	6000	12000	2650	6600	13200
31.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	6000	12000	2650	6600	13200
32.	On application for registration as a patent agent under rule 109(1) or rule 112.	22	3200	Not applicable	Not applicable	3500	Not applicable	Not applicable
33.	On request for appearing in the qualifying examination under rule 109(3).	—	1600	Not applicable	Not applicable	1750	Not applicable	Not applicable
34.	For continuance of the name of a person in the register of patent agents—							
	(i) for the 1st year to be paid along with registration;	—	800	Not applicable	Not applicable	880	Not applicable	Not applicable
	(ii) for every year excluding the 1st year to be paid on the 1st April in each year.	—	800	Not applicable	Not applicable	880	Not applicable	Not applicable
35.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	--	1600	Not applicable	Not applicable	1750	Not applicable	Not applicable
36.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under rule 117(1).	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 34)	Not applicable	Not applicable	1750 (Plus continuation fee under entry number 34)	Not applicable	Not applicable
37.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	—	800	2000	4000	880	2200	4400

IndiaCode

38.	On application for review or setting aside the decision or order of the controller under section 77(1)(f) or 77(1)(g).	24	1600	4000	8000	1750	4400	8800
39.	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and rule 71(1).	25	1600	4000	8000	1750	4400	8800
40.	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	—	1600	4000	8000	1750	4400	8800
41.	(i) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(1).	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2500 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2750 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
	(ii) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(2).	--	2400 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	6000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	12000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	3300 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	6600 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	13200 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)
42.	For certifying office copies, printed each.	—	800	2000	4000	880	2200	4400
43.	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.	—	320	800	1600	350	880	1750
44.	On request for information under section 153 and rule 134.	—	480	1200	2400	530	1300	2650
45.	On form of authorisation of a patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
46.	On petition not otherwise provided for.	—	1600	4000	8000	1750	4400	8800
47.	For supplying of photocopies of the documents, per page.	—	10	10	10	10	10	10
48.	Transmittal fee for International application.	—	3200	8000	16000	3500	8800	17600
49.	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual Property Organization.	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2500 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2750 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)

IndiaCode

50.	On statement regarding working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and rule 131(1).	27	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
51.	To be submitted for claiming the status of a small entity or startup	28	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
52.	Request for adjournment of hearing under rule 129A (for each adjournment).	-	1000	2500	5000	1100	2750	5500
53.	Miscellaneous form under rule 8(2), to be used when no other form is prescribed.	30	As applicable					

Table II - FEES REFUNDABLE

On what account fee refundable	Refund of fees
Refund of fees under sub-rule (4A) of rule 7	90% of fee paid for request for examination or request for expedited examination".

31. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE ,- (i) in the LIST OF FORMS, after "Form No. 28", the following shall be inserted, namely:-

"29.	Section 11B(4) and rules 7(4A), 24C(5) and 26	Request for withdrawal of patent application
30.	Rule 8(2)	Miscellaneous form, to be used when no other form is prescribed.".

(ii) for "FORM 1", the following FORM shall be substituted, namely:-

"**FORM 1** THE PATENTS ACT 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 **APPLICATION FOR GRANT OF PATENT** (See section 7, 54 and 135 and sub-rule (1) of rule 20)	(FOR OFFICE USE ONLY)	
	Application No.	
	Filing date:	
	Amount of Fee paid:	
	CBR No:	
	Signature:	
1. APPLICANT'S REFERENCE / IDENTIFICATION NO. (AS ALLOTTED BY OFFICE)		

PE OF APPLICATION [Please tick (✓) at the appropriate category]					
Ordinary ()		Convention ()		PCT-NP ()	
Divisional ()	Patent of Addition ()	Divisional ()	Patent of Addition ()	Divisional ()	Patent of Addition ()
3A. APPLICANT(S)					

IndiaCode

Name in Full	Nationality	Country of Residence	Address of the Applicant	
			House No.	
			Street	
			City	
			State	
			Country	
			Pin code	

3B. CATEGORY OF APPLICANT [Please tick (✓) at the appropriate category]

Natural Person ()	Other than Natural Person		
	Small Entity ()	Startup ()	Others ()

4. INVENTOR(S) [Please tick (✓) at the appropriate category]

Are all the inventor(s) same as the applicant(s) named above?	Yes ()	No ()

If "No", furnish the details of the inventor(s)

Name in Full	Nationality	Country of Residence	Address of the Inventor	
			House No.	
			Street	
			City	
			State	
			Country	
			Pin code	

5. TITLE OF THE INVENTION

6. AUTHORISED REGISTERED PATENT AGENT(S)	IN/PA No.	
	Name	
	Mobile No.	
7. ADDRESS FOR SERVICE OF APPLICANT IN INDIA	Name	
	Postal Address	
	Telephone No.	
	Mobile No.	
	Fax No.	
	E-mail ID	

8. IN CASE OF APPLICATION CLAIMING PRIORITY OF APPLICATION FILED IN CONVENTION COUNTRY, PARTICULARS OF CONVENTION APPLICATION

Country	Application Number	Filing date	Name of the applicant	Title of the invention	IPC (as classified in the convention country)

9. IN CASE OF PCT NATIONAL PHASE APPLICATION, PARTICULARS OF INTERNATIONAL APPLICATION FILED UNDER PATENT CO-OPERATION TREATY (PCT)

International application number	International filing date

10. IN CASE OF DIVISIONAL APPLICATION FILED UNDER SECTION 16, PARTICULARS OF ORIGINAL (FIRST) APPLICATION

Original (first) application No.	Date of filing of original (first) application

India Code

11. IN CASE OF PATENT OF ADDITION FILED UNDER SECTION 54, PARTICULARS OF MAIN APPLICATION OR PATENT

Main application/patent No.	Date of filing of main application

12. DECLARATIONS

(i) Declaration by the inventor(s)

(**In case the applicant is an assignee**: the inventor(s) may sign herein below or the applicant may upload the assignment or enclose the assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period).

I/We, the above named inventor(s) is/are the true & first inventor(s) for this Invention and declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative.

(a) Date
(b) Signature(s)
(c) Name(s)

(ii) Declaration by the applicant(s) in the convention country

(In case the applicant in India is different than the applicant in the convention country: the applicant in the convention country may sign herein below or applicant in India may upload the assignment from the applicant in the convention country or enclose the said assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period)

I/We, the applicant(s) in the convention country declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative.

(a) Date
(b) Signature(s)
(c) Name(s) of the signatory

IndiaCode

(iii) Declaration by the applicant(s)

I/We the applicant(s) hereby declare(s) that: -

- I am/ We are in possession of the above-mentioned invention.
- The provisional/complete specification relating to the invention is filed with this application.
- The invention as disclosed in the specification uses the biological material from India and the necessary permission from the competent authority shall be submitted by me/us before the grant of patent to me/us.
- There is no lawful ground of objection(s) to the grant of the Patent to me/us.
- I am/we are the true & first inventor(s).
- I am/we are the assignee or legal representative of true & first inventor(s).
- The application or each of the applications, particulars of which are given in Paragraph-8, was the first application in convention country/countries in respect of my/our invention(s).
- I/We claim the priority from the above mentioned application(s) filed in convention country/countries and state that no application for protection in respect of the invention had been made in a convention country before that date by me/us or by any person from which I/We derive the title.
- My/our application in India is based on international application under Patent Cooperation Treaty (PCT) as mentioned in Paragraph-9.
- The application is divided out of my /our application particulars of which is given in Paragraph-10 and pray that this application may be treated as deemed to have been filed on DD/MM/YYYY under section 16 of the Act.
- The said invention is an improvement in or modification of the invention particulars of which are given in Paragraph-11.

13. FOLLOWING ARE THE ATTACHMENTS WITH THE APPLICATION

(a) Form 2

Item	Details	Fee	Remarks
Complete/ provisional specification)#	No. of pages		
No. of Claim(s)	No. of claims and No. of pages		
Abstract	No. of pages		
No. of Drawing(s)	No. of drawings and No. of pages		

In case of a complete specification, if the applicant desires to adopt the drawings filed with his provisional specification as the drawings or part of the drawings for the complete specification under rule 13(4), the number of such pages filed with the provisional specification are required to be mentioned here.

(b) Complete specification (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(c) Sequence listing in electronic form

(d) Drawings (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(e) Priority document(s) or a request to retrieve the priority document(s) from DAS (Digital Access Service) if the applicant had already requested the office of first filing to make the priority document(s) available to DAS.

(f) Translation of priority document/Specification/International Search Report/International Preliminary Report on Patentability.

(g) Statement and Undertaking on Form 3

(h) Declaration of Inventorship on Form 5

(i) Power of Authority

(j)……..

Total fee □…….in Cash/ Banker's Cheque /Bank Draft bearing No..... Date……..on ……Bank.

I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge, information and belief the fact and matters slated herein are correct and I/We request that a patent may be granted to me/us for the said invention.

Dated this……day of…….20……

Signature:

Name:

To,

The Controller of Patents

The Patent Office, at……..

Note: -

* Repeat boxes in case of more than one entry.

* To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent otherwise where mentioned.

* Tick (✓)/cross (x) whichever is applicable/not applicable in declaration in paragraph-12.

* Name of the inventor and applicant should be given in full, family name in the beginning.

* Strike out the portion which is/are not applicable.

* For fee: See First Schedule";

IndiaCode

(iii) For "FORM 3", the following FORM shall be substituted, namely:-

FORM 3

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

and

THE PATENTS RULES, 2003

STATEMENT AND UNDERTAKING UNDER SECTION 8

(See section 8; Rule 12)

1. Name of the applicant(s).	I/We…… …… …… hereby declare:
2. Name, address and nationality of the joint applicant.	(i) that I/We have not made any application for the same/substantially the same invention outside India Or (ii) that I/We who have made this application No…….dated …..……..alone/jointly with ……., made for the same/ substantially same invention, application(s) for patent in the other countries, the particulars of which are given below:

Name of the country	Date of application	Application No.	Status of the application	Date of publication	Date of grant

3. Name and address of the assignee	(iii) that the rights in the application(s) has/have been assigned to…… …… that I/We undertake that upto the date of grant of the patent by the Controller, I/We would keep him informed in writing the details regarding corresponding applications for patents filed outside India within six months from the date of filing of such application. Dated this……day of……..20…..
4. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent.	Signature. …….
5. Name of the natural person who has signed.	(……).
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at……
Note.- Strike out whichever is not applicable;	

(iv) for "FORM 4", the following FORM shall be substituted, namely:-

FORM 4

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

and

THE PATENTS RULES, 2003

REQUEST FOR EXTENSION OF TIME

[See sections 53(2), and 142 (4); rules 13(6), 24B(6), 24C(11) and 80(1A), 130]

1. Name of the applicant	I/We……... …… ……..

	hereby request for extension of time for ……..months(s) under section/rule……in connection with my/our/application/Patent No…… The reasons for making the request are as follows:- …… …… Dated this…….day of …….20….
2. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent	Signature (…….)
3. Name of the natural person who has signed	
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at……
Note.- For fee: See First Schedule.”;	

(v) for “FORM 13”, the following FORM shall be substituted, namely:-

FORM 13 THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 **APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE APPLICATION FOR PATENT/ COMPLETE SPECIFICATION/ANY DOCUMENT RELATED THERETO** [See section 57; sub-rule (1) of rule 81]	
1. Name of the applicant(s).	I/We……... …… request leave to amend the application/any document related thereto/complete specification with respect to application for patent No…….dated……as highlighted in the copy hereto annexed. My/Our reason for making this request are as follows:- …….. …….. I/We declare that no action for infringement or for the revocation of the patent in question is pending before Appellate Board or a Court. I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge information and belief.
2. To be signed by the applicant(s) or patentee(s) or by his authorized registered patent agent	Dated this……..day of……20…… Signature…….
3. Name of the natural person who has signed	 (…….)
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at……
Note.- For fee: See First Schedule.”;	

IndiaCode

(vi) after FORM 18, the following FORM shall be inserted, namely:-

"FORM 18 A **THE PATENTS ACT,1970** **and THE PATENT RULES,2003** **REQUEST FOR EXPEDITED EXAMINATION OF APPLICATION FOR PATENT** **[See section 11B and Rule 24C]**	(FOR OFFICE USE ONLY) RQ. No.: Filing Date: Amount of fee Paid: CBR no: Signature:

1. APPLICANT(s)
(A)NAME:
(B) NATIONALITY:
(C) ADDRESS:

2. I/We ----------hereby request that my/our application for patent no.----------filed on----------for ----------the----------invention titled ----------shall be examined under sections 12 and 13 of the Act.

or

I/We ----------hereby request that my/our application for patent no.----------filed on----------for ----------the----------invention titled ---------- based on Patent Cooperation Treaty (PCT) application no……..…. dated…….. made in country …….. shall be examined under sections 12 and 13 of the Act, immediately without waiting for the expiry of 31 months as specified in rule 20(4)(ii).

or

I/We hereby request that my/our request for examination bearing no.----------for application for patent no.----------filed on----------for ----------the----------invention titled ----------may be converted to a request for expedited examination of patent application under rule 24C and the application shall be examined under sections 12 and 13 of the Act.

3.The applicant(s) to indicate (by ticking the appropriate box) any of the grounds applicable in case of request for expedited examination made by on any of the following grounds:

☐ a that the applicant is a startup, or

☐ that India has been indicated as the competent International Searching Authority or elected as an International Preliminary Examining Authority in the corresponding international application.

ADDRESS FOR SERVICE IN INDIA:
……
……
……..

Dated this day of 20

Signature

Name of the signatory

To

The Controller of Patent

The Patent Office, at

NOTE:

To be signed by the applicant(s) or by his/ their authorized registered patent agent

"Strike out the column(s) which is/ are not applicable.";

For fee: See First Schedule.";

IndiaCode

(vii) for 'FORM 28", the following FORM shall be substituted, namely:-

<table>
<tr><td colspan="3">"FORM 28
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
AND
THE PATENTS RULES, 2003
TO BE SUBMITTED BY A SMALL ENTITY / STARTUP
[See rules 2 (fa), 2(fb) and 7]</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Insert name, address and nationality.</td><td>I/We …….
…….
applicant/ patentee in respect of the patent application no. ……or patent no……
hereby declare that I/we am/are a small entity in accordance with rule 2(fa) or a startup in accordance with rule 2(fb) and submit the following document(s) as proof:</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Documents to be submitted</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">i. For claiming the status of a small entity:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">A. For an Indian applicant: Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006).</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">B. In case of a foreign entity: Any other document.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ii. For claiming the status of a startup</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">A. For an Indian applicant: Any document as evidence of eligibility, as defined in rule 2(fb).</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">B. In case of a foreign entity: Any other document.</td></tr>
<tr><td>3

4</td><td>To be signed by the applicant(s) / patentee (s) / authorised registered patent agent.

Name of the natural person who has signed.
Designation and official seal, if any, of the person who has signed.</td><td>The information provided herein is correct to the best of my/our knowledge and belief.
Dated this …….day of ……. 20...

Signature ……

(Name) ……
(Designation) ……
To
The Controller of Patents,
The Patent Office,
At……";</td></tr>
</table>

IndiaCode

(viii) after FORM 28, the following FORMS shall be inserted, namely:-

"FORM 29

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

and

THE PATENTS RULES, 2003

REQUEST FOR WITHDRAWAL OF THE APPLICATION FOR PATENT

[See Section 11B(4) and rules 7(4A), 26]

1. Name of the applicant	I/ We——————————request that the application for patent numbered …..…… _____dated _____filed by me/us, if applicable, having the request for examination / request for expedited examination numbered……. _____dated_____, be treated as withdrawn under rule 7(4A) / 26.
2. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent	
3. Name of the natural person who has signed	
	Dated ----------day of---------- Signature (_____) (Name) ……. (Designation) ……
N.B. strike out whichever not applicable	To The Controller of Patents Patent Office at _____

IndiaCode

FORM 30

THE PATENTS ACT ,1970

(39 of 1970)

and

THE PATENTS RULES,2003

TO BE USED WHEN NO OTHER FORM IS PRESCRIBED

[See sub-rule (2) of Rule 8]

1. Name of the Applicant/Patentee/Other	I/We …….. ……			
2. Complete address including postal index number/code and State along with e-mail ID, telephone, mobile and fax number.	House No. Street	-- --	Telephone No. Mobile No.	-- ----
	City State Country	-- -- --	Fax No.	--
	Pin code	--	E-mail ID	--

3. Application No. / Patent No.	
4. Relevant section / rules	
5. Purpose of request	
6. Details of request	
7. To be signed by applicant	Signature…….
8. Name of the natural person who has signed along with designation and official seal, if any.	(……)
	To, The Controller of Patents, The Patent Office, at ……”.

[F. No.14/3/2014. IPR-III]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub section (ii) vide S.O.493 (E) dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended vide notification number:-

(i) S.O. 1418 (E), dated the 28th December, 2004;

(ii) S.O. 657 (E), dated the 5th May, 2006;

(iii) S.O. 2296 (E), dated the 25th September, 2012;

(iv) S.O. 1029 (E), dated the 23rd April, 2013; and

(v) GSR 125 (E), dated the 28th February, 2014.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.